



क्षेत्रीय कार्यालय

फोन नं 2723225

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल-2 मरुधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

क्रमांक:-राप्रनिम/जनसुनवाई/18-19/ 1890

दिनांक: 31/01/19

सदस्य सचिव,
रा० प्र० नि० म०
जयपुर।

विषय:-मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज-7/लोट-4) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान-गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई दिनांक 28.01.2019 के कार्यवृत विवरण (Meeting Minutes) भिजवाने के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज-7/लोट-4) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान-गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई दिनांक 28.01.2019 के कार्यवृत विवरण (Meeting Minutes), सीडी की दो प्रति, फोटोग्राफ, पेपर कटींग एवं जन सुनवाई में भाग लेने वालों की सूची दो प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

50/-

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर।

2. मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

11/01/2019
क्षेत्रीय अधिकारी



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल-2 मरुधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण दिनांक 28.01.2019

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय रा० प्र० नि० म० जोधपुर द्वारा जन सुनवाई के लिये सूचना प्रादेशिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 22.12.2018 को प्रकाशित की गई थी। मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पैकैज-7/लोट-4) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान-गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई दिनांक 28.01.2019 निर्धारित की गयी।

जन सुनवाई श्री छगनलाल गोयल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम जोधपुर जो कि जिला कलेक्टर जोधपुर के प्रतिनिधि के तौर पर एवं श्री जगदीश सिंह क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर के द्वारा आयोजित की गई। जन सुनवाई के उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त श्री रोहित कुमार, उपखण्ड अधिकारी बालेसर एवं श्री प्रवीन्द्र गहलोत मैनेजर NHAI भी उपस्थित थे। जिनका उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है। (संलग्नक-1) जन सुनवाई में क्षेत्र के ग्रामवासी एवं अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है। (संलग्नक-2) जनसुनवाई के लिए आस पास के क्षेत्र में सूचना प्रकाशित होने की तिथि से जन सुनवाई दिनांक 28/01/2019 तक कोई लिखित सुझाव/आक्षेप क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर को प्राप्त नहीं हुए हैं।

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पैकैज-7/लोट-4) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान-गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये आयोजित जन सुनवाई की बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे—

1. श्री छगनलाल गोयल


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम, जोधपुर

2. श्री जगदीश सिंह

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर

3. श्री रोहित कुमार,


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर


(छगन लाल गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी, बालेसर जिला—जोधपुर

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री जगदीश सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया एवं जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य, महत्व तथा प्रस्तावित विस्तार परियोजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरण सलाहकार संस्था मै0 एनवायरा इंफा सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड गाजियाबाद के प्रतिनिधि श्री तरुण सहारण को आमंत्रित किया गया। श्री तरुण सहारण ने प्रस्तावित परियोजना के बारे में उपस्थित जन समुदाय को विस्तृत जानकारी दी।

तत्पश्चात् श्री जगदीश सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ने जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान—गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु आयोजित जन सुनवाई में आपतियां व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।

जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ने विचार/आपति/सुझाव प्रस्तुत किये—

मोहनराम, ग्राम— गोदासर

उक्त परियोजना अन्तर्गत होने वाले कार्य के कारण कृषकों/कास्तकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने पर सरकार की ओर से कृषकों को उपलब्ध करवाये जाने वाले मुआवजे व अन्य प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिये निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बालेसर श्री रोहित कुमार द्वारा उपस्थित जन समुदाय को यह आश्वस्त किया गया कि भूमि, भवन निर्माण, व्यवसायिक निर्माण का अधिग्रहण किये जाने पर भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल 2013 मे तय मापदण्ड अनुसार नियमानुसार मुआवजा सरकार की ओर से दिया जावेगा।

साथ ही यह भी जानना चाहा कि यदि किसी कृषक/कास्तकारों के खेत की मध्य में से होकर राजमार्ग के गुजरने पर उनके लिये यातायात/आवागमन की व्यवस्था का प्रबन्ध के बारे में पूछने पर उपखण्ड अधिकारी श्री रोहित कुमार एवं मै0 एनवायरा इंफा सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड गाजियाबाद के प्रतिनिधि श्री तरुण सहारण ने यह आश्वस्त किया कि राजमार्ग से लगते हुये सर्विस लेन/एसपीवी की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेग। एक निर्धारित सीमा पर अण्डरपास एवं ऑवरब्रिज बनाये जायेगे ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।

मोहनराम
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

(छंगन लाल गोदल)
भपर जिला कल्पकार (आपति) जोधपुर

लालाराम चौधरी— ढाढणिया (गोदासर)

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कारण भूमि अधिग्रहण पर यहां के कृषकों/कास्तकारों को पंजाब के कृषकों/कास्तकारों के समान मुआवजे दिलाये जाने की मांग रखी। जिस पर उपर्युक्त अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में तय मापदण्ड अनुसार मुआवजे की बात दोहराई।

इसी बीच श्री जगदीश सिंह क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर यह उक्त परियोजना के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से होने वाले प्रभाव पर भी अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करने का निवेदन किया।

उपस्थित जन समुदाय में से यह निवेदन किया गया कि इस परियोजना अन्तर्गत बनने वाले राजमार्ग के कारण ढाढणिया शासन में ही एक ढाणी के लगभग 25 परिवारों को एकसाथ विस्थापित होना होगा इस बारे में उनके पुर्णवास एवं मुआवजे के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी चाही गई।

उपस्थित जन समुदाय के अनुसार राजमार्ग में बनने वाले सर्कल एवं जक्शन के आसपास की भूमि को को निजी कास्तकारों को सुपुर्द नहीं करने एवं इसके सरकारी उपयोग किये जाने की मांग रखी।

उपस्थित जन समुदाय के अनुसार राजमार्ग के बनने पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु भी प्रयास किये जाने की मांग रखी गई।

श्री मोहनराम गांव गोदासर द्वारा इस राजमार्ग के बनने पर समीप के खेतों एवं उनकी भूमि पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव की रोकथाम के प्रयास के बारे में पूछने पर मै० एनवायरा इंफा सोलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड गाजियाबाद के प्रतिनिधि श्री तरुण सहारण ने यह अवगत करवाया पर्यावरण प्रबन्धन हेतु लगभग 37 करोड़ की व्यवस्था परियोजना अन्तर्गत रखी है। राजमार्ग के दोनों तरफ 3 पक्कियों में पेड़ लगाये जावेगे। चूंकि रोड की चौड़ाई 70 मीटर रहेगी। जैसा कि ई० एम० पी० में इंगित है, वायु प्रदूषण को रोकने हेतु रोड के साथ ही ग्रीन बेल्ट का निर्माण साथ-साथ किया जावेगा। लगभग 1,24,800 पेड़ इसके अन्तर्गत लगाये जावेगे। राजमार्ग के दोनों तरफ पानी के छिड़काव की लगातार व्यवस्था रखी जावेगी जिससे धूल/मिट्टी का फैलाव रोका जा सके। अधिक से अधिक हरियाली किये जाने पर भी जोर दिया जावेगा।

श्री छगनलाल गोयल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम एवं श्री रोहित कुमार उपर्युक्त अधिकारी, बालेसर एवं क्षेत्रीय अधिकारी श्री जगदीश सिंह राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को आश्वस्त किया कि नियमानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रदूषण बिल्कुल नहीं होने दिया जावेगा। आधुनिक

८/१८/३८

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
गोदासर

(अधिकारी की संरक्षित दस्तावेज़)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
गोदासर

तकनीक द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण किया जायेगा। इससे आस-पास के ग्रामीणवासियों पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव नहीं होगा।

तत्पश्चात् श्री रोहित कुमार उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने जन समुदाय को आश्वस्त किया कि कि राजमार्ग के कारण भूमि अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाली समस्यों के लिये प्रशासन की ओर से अलग से सुनवाई तिथि निर्धारित कर समस्यों के समाधान के प्रयास किये जावेगे।

अन्त में श्री जगदीश सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ने उपस्थित जन समुदाय जनसुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने विचार रखे जाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम

जोधपुर

(छगन लाल गोपल)

प्रथम जिला कलकटर (प्रथम) जोधपुर

जैन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेक्ज-7 / लोट-4) के तहत 4/6 लेन अभियान नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान-गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये आयोजित जन सुनवाई की बैठक।

स्थान : राजकीय माध्यमिक विधालय, ढाढ़णिया भायला
तहसील : बालेसर, जिला - जोधपुर

दिनांक : 28/01/2019

समय : प्रातः 11:30 बजे


क्र.सं.	नाम	पद एवं विभाग	हस्ताक्षर
1	C L Goyal	ADM I Jodhpur	
2	जगदीश राठौ	जगदीश राठौ देवी अधिकारी राजस्थान ८५५ नियंत्रण विभाग	
3	Rohit Kumar	SDM Balotra	
4	Shanti Chandra Maitra	Coordinator - Ioj Panchayat, m.	
5	Pravindra Singh	Mangarai (T) ४५८५ Jodhpur	
6	निकलदानी	L.A.E	

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पद्धाधिकारी, ग्रामवासी/जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यालयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकेज-7/लोट-4) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K का निर्माण राजस्थान राज्य में धधानिया शासन, (जोधपुर जिला) से राजस्थान-गुजरात के पास सांचौर (जिला जालोर) तक कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये आयोजित जन सुनवाई की बैठक

स्थान : राजकीय माध्यमिक विधालय, ढाढ़णिया भायला
तहसील : बालेसर, जिला - जोधपुर

दिनांक : 28/01/2019
समय : प्रातः 11:30 बजे

क्र.सं.	नाम	पद एवं विभाग/ग्राम/रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
१)	मागीलाल ८५० हायाराजनी जार	छाड़णिया भायला	
२)	अमरप्रसाद खड्गपाल ८५०	छाड़णिया भायला	
३)	मेहराम शहजुल्लाह	"	मोहनराम
४)	देवराम शहजुल्लाह	(जोदामटा),	देवराम
५)	गोपीनाथ शहजुल्लाह	मोडो लोबास	गोपीनाथ
६)	किरणराज	८१६०११२१	किरणराज
७)	पोक्कराम	ठाठणिया चोकामला/ छाड़णी दोला	पोक्कराम
८)	जगाराम	"	
९)	मिहराम शहजुल्लाह	छाड़णिया (जोदामटा)	
१०)	बोलराम जोदाम	छाड़णिया (जोदामटा)	बोलराम
११)	मोहम्मद खुड़ाम	गोडामटे टाटिया भायला	
१२)	मगाराम	"	मगाराम
१३)	द्वारुदाम	छाड़णिया भायला बोलेपर	द्वारुदाम
१४)	बिन्दाराम	जोदामटा दोले राम	बिन्दाराम

क्रम.	नाम	पद एवं विभाग/ग्राम/रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
32	छन्दराम	गोपिया सासारा	
33	जैमाराम	घरेनगर गोपिया	
34	बालुराम	टोटोलीया (आंगला)	217217
35	कृपाराम	टोटोलीया (आंगला)	कृपाराम
36	केराराम	616161 (आंगला)	केराराम
37	धौराम	भासला	
38	मोहनराम	टोटोलीया (आंगला)	मोहनराम
39	मेवराम	टोटोलीया - मापला	मेवराम
40	दृष्टामि डोबलुकर गोडाराम	9	दृष्टामि
41	अकाराम	टोटोलीया	
42	मोहनराम	मापला	मोहनराम
43	दीपराम	मापला	
44	कानाराम	जौदासर	
45	बनाराम	बोमला	
46	राणाराम	जौदासर	
47	झानाराम	जौदासर	

क्र.सं.	नाम	पद एवं विभाग/ग्राम/रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
५४	राजाराम मेधवाल	दरियार, डा. अमला (बालोटी)	
५५	मुकेश मेधवाल	दरियार दा. अमला (बालोटी)	
५०	जितपाल सिंह	अमला	
५१	अवैलाल	झाँडिया मायला	
५२	पृथिवी पाल	झाँडिया (जायला)	
५३	खेराजराम	झाँडिया (मायला)	झाँडिया (मायला) खेराजराम
५४	बालुराम	झाँडिया मायला लोले की छाँडिया बालुराम	
५५	ठाकुलाला	नानाथराम ठाकुलाला	
५६	राजराम	छोड़ी दा राम	
५७	सिताराम	उत्तरसार उत्तर	
५८	जसाराम	गोदासर गाँव	
५९	गोरखराम	गोदासर गाँव	
६०	केनारा म	झोदासर गाँव	केनारा म
६१	गेनाराम	गढ़ीयों मायला	
६२	मोहाराम	देवगांव	
६३	गोलाराम	देवगांव	
६४	सुखराम लाल	देवगांव	सुखराम लाल









